प्रकाशन के लिए अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

विविध अपील(क्षतिपूर्ति) क्रमांक 362/2010

और

विविध अपील(क्षतिपूर्ति) क्रमांक 363/2010

<u>अपीलार्थी</u> ईश्वरी बाई एवं अन्य

<u>बनाम</u>

<u>उत्तरवादी</u> राजेंद्र कुमार देवांगन एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>युगल पीठ:</u> **<u>माननीय श्री आई.एम. कुद्दुसी , एवं</u>**

<u>माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण</u>

<u>उपस्थित:</u>

श्री बी.एस. खनूजा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

<u>मौखिक आदेश</u>

(दिनांक 4-10-2010)

न्यायमूर्ति एन.के. अग्रवाल के अनुसार,

सूची संशोधित की जा रही है। मामले की सुनवाई शुरू हो गई है।

उत्तरवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

अंतिम रूप से सुना गया। खुले न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

---

1. एम.ए. क्रमांक 362/2010 और एम.ए. क्रमांक 363/2010 का इस सामान आदेश द्वारा निराकरण किया जा रहा है क्योंकि दोनों अपीलें एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हुई हैं।

2. यह अपीलें दावा प्रकरण क्रमांक 76/2009 और 77/2009 में द्वादश अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग द्वारा पारित दिनांक 13-1-2010 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें दावा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. दिनांक 7-5-2006 की शाम अपीलार्थी क्रमांक 2, इंडिका कार, जिसका पंजीयन क्रमांक **CG** 12/6352 है, से बिलासपुर से भिलाई जा रहा था और उसके साथ कार में उसके दो बच्चे दीपक और आशीष बैठे थे। अपीलार्थी क्रमांक 2 स्वयं कार चला रहा था। शाम लगभग 4.45 बजे भोजपुर मोड़ के पास इंडिका कार, पंजीयन क्रमांक **UP** 75/**A**/5631 वाले एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप दीपक और आशीष की उक्त दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इंडिका कार चला रहे माता-पिता ने क्रमशः 6,75,000/- रुपये और 1,00,000/- रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए दावा याचिका दायर किया । दीपक और आशीष की मृत्यु के लिए क्रमशः 7,50,000/- रुपये का मुआवज़ा

उत्तरवादी क्रमांक 1/इंडिका कार के मालिक और उत्तरवादी क्रमांक 2/ट्रक के मालिक के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 163-क के अंतर्गत दो अलग-अलग दावा याचिकाएँ दायर की गई है।

ii. उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा दायर लिखित कथन में यह तर्क दिया गया कि चालक नशे की हालत में था। उसने अपनी माँ की सहमति से वाहन चलाया था। अपीलार्थी क्रमांक 2 के विरुद्ध थाना हिर्री में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-क, 279 और 337 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 103/2006 दर्ज किया गया था, जो लंबित है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी क्रमांक 2 स्वयं दुर्घटना के लिए उत्तरदायी था। उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर दावा याचिका दायर किया है। अतः दावा याचिकाएँ पोषणीय न होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iii. दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए।

iv. विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रस्तुत किए गए तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रस्तुत सामग्री की गहन विवेचना के बाद, दावा याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि दावेदार अपना दावा साबित करने में विफल रहे हैं।

4. हमने न्यायाधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया है। इस अपील में निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं:

i. क्या कोई व्यक्ति, जो वाहन स्वामी की जगह लेता है, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163-क के अंतर्गत दावा याचिका दायर कर सकता है?

ii. क्या कोई व्यक्ति, जो स्वयं वाहन चलाने में लापरवाही बरतता है, अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का हकदार होगा?

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य पर मतभेद नहीं किया कि अपीलार्थी क्रमांक 2 दुर्घटना के समय इंडिका कार क्रमांक CG12/6352 में अपने दो बेटों को कर्मचारी यानी वाहन चालक की हैसियत से नहीं ले जा रहा था और वास्तव में, उसने अपनी पत्नी और दो बेटों को बिलासपुर से लाने के लिए मालिक से वाहन मांग कर लाया था। अपीलार्थी क्रमांक 2 विचाराधीन मोटर यान का मालिक नहीं था। उसने उक्त वाहन उसके वास्तविक मालिक से मांग कर लाया था। उसे वाहन के मालिक का कर्मचारी नहीं माना जा सकता, हालाँकि उसे मालिक द्वारा वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया गया था और इसलिए, वह वाहन के वास्तविक मालिक की भूमिका में आ जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मोटर यान अधिनियम, 1988 का अध्याय **XI** मोटर यान को तृतीय पक्ष जोखिमों से बचाता है। अधिनियम की धारा 146 के द्वारा, सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोगकर्ता के लिए तृतीय पक्ष जोखिमों के विरुद्ध बीमा पॉलिसी रखना अनिवार्य कर दिया गया। धारा 147 ऐसी वैधानिक पॉलिसियों की अपेक्षाएं और दायित्व की सीमाओं का वर्णन करती है। धारा 149 बीमाकर्ताओं को तृतीय पक्ष जोखिमों के संबंध में बीमित व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णय और अधिनिर्णयों को संतुष्ट करने का आदेश देती है। धारा 163-क संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करती है। धारा 165 राज्य सरकार को एक या एक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों का गठन करने का अधिकार देती है, जो मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं, जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट शामिल हो, या इस प्रकार उत्पन्न किसी तृतीय पक्ष की संपत्ति को नुकसान हो, या दोनों, के संबंध में मुआवजे के दावों पर निर्णय देते हैं। उपरोक्त प्रावधानों के संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि दावा न्यायाधिकरणों का गठन मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष की मृत्यु या उसे शारीरिक चोट लगने के संबंध में मुआवजे के दावों पर निर्णय देने के उद्देश्य से किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रजनी देवी (2008) 5 एससीसी 736 में प्रकाशित,*** के मामले में माना कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 163-क उस दुर्घटना के संबंध में लागू नहीं होती जिसमें मोटर यान का मालिक स्वयं शामिल हो। यह भी माना गया कि अधिनियम की धारा 163-क के तहत दायित्व केवल वाहन के मालिक पर है क्योंकि कोई व्यक्ति दावेदार और प्राप्तकर्ता दोनों नहीं हो सकता, इसलिए मृतक के उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 163-क के तहत दावा नहीं कर सकते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. निस्संदेह, अपीलार्थी क्रमांक 2 इंडिका कार का मालिक नहीं था। उसने कार उसके असली मालिक से मांगी थी। उसे इंडिका कार के मालिक का कर्मचारी नहीं माना जा सकता, हालाँकि उसे उक्त वाहन चलाने के लिए उसके मालिक द्वारा अधिकृत किया गया था और इसलिए, वह मोटरसाइकिल के मालिक की जगह लेगा।

9. ऐसे मामले में जहाँ पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वह उपरोक्त मोटर यान से उत्पन्न दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, उस स्थिति में अधिनियम की धारा 163-क के तहत मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व बीमा कंपनी या मालिक का है, जैसा भी मामला हो। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि चालक मोटर यान का मालिक है, तो उस

स्थिति में मालिक स्वयं मुआवजे का प्राप्तकर्ता नहीं हो सकता क्योंकि मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व उस पर है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***निंगममा और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; (2009) 13 एससीसी 710 में प्रकाशित,*** मामले में माना है।

10. इस मामले में, मृतक अपीलार्थी क्रमांक 2 के पुत्र हैं, जो इंडिका कार के मालिक के जगह पर थे, इसलिए उन्होंने अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत मुआवज़े का दावा नहीं किया होता। दुर्घटना के समय वाहन के कथित मालिक के पुत्र होने के कारण मृतकों को तृतीय पक्ष भी नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपरोक्त कारणों से, हमारी सुविचारित राय में, अपीलार्थीओं द्वारा अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत दायर दावा याचिका इंडिका कार के वास्तविक मालिक के विरुद्ध स्वीकार्य नहीं है।

12. हालाँकि, अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत स्वयं लापरवाह व्यक्ति द्वारा दावा याचिका की वैधता के संबंध में दूसरे प्रश्न का मूल्यांकन करने के लिए,

अधिनियम की धारा 163-क को पुनः उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"163क. संरचना सूत्र के आधार पर प्रतिकर के संदाय की बाबत विशेष उपबंध–

(1) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर यान के उपयोग से हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या आहत व्यक्ति को, दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण– *स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।*

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह यह अभिवचन करे या यह सिद्ध करे कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है, संबंधित यान या यानों के स्वामी या

किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।

(3) केन्द्रीय सरकार, जीवन निर्वाह की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।

13. अधिनियम की धारा 163-क को सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से अधिनियम क्रमांक 54/1994 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 में लाया गया था ताकि मृतक या स्थायी विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति की आयु/आय के आधार पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए एक नया पूर्व निर्धारित संरचित सूत्र प्रदान किया जा सके। उक्त धारा में प्रयुक्त भाषा को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उक्त प्रावधान का एक अध्यारोही प्रभाव है क्योंकि इसमें किसी भी बात के बावजूद खंड शामिल है जिसके अनुसार मोटर वाहन का मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में, जैसा कि दूसरी अनुसूची में इंगित किया गया है, विधिक उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त प्रावधान का विश्लेषण **दीपल गिरीशभाई सोनी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** 2004(5)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एससीसी 385 में प्रकाशित, के मामले में किया गया है, जो में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कांडिका 42 और 66 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"**42**. इस प्रकार, धारा 163-क उन लोगों के एक वर्ग को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अधिनियमित की गई थी जिनकी वार्षिक आय 40,000/- रुपये से अधिक नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम की धारा 163-क के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची के अनुसार; मुआवजे का भुगतान एक संरचित सूत्र पर किया जाना है, जिसमें न केवल पीड़ित की आयु और उसकी आय को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि उससे संबंधित अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए, इसके तहत दिया गया निर्णय दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा जैसा कि अधिनियम से संलग्न द्वितीय अनुसूची में निहित विभिन्न स्तंभों से स्पष्ट होगा। यह अंतरिम प्रकृति का नहीं है। स्तंभ 1 से संलग्न टिप्पणी , जो घातक दुर्घटनाओं से संबंधित है, स्थिति को और स्पष्ट करता है, जिसमें कहा गया है कि मुआवजे की कुल राशि में से एक-तिहाई राशि उन खर्चों को ध्यान में रखते हुए कम की जानी है जो पीड़ित को जीवित रहने पर अपने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भरण-पोषण पर उठाने पड़ते। इसके साथ ही स्तंभ क्रमांक 2 से 6 में दिए गए मुआवजे के अन्य शीर्षकों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि संसद का उद्देश्य पीड़ितों के एक वर्ग को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना बनाना था, जिन्हें यह साबित करने के लिए कोई लंबी मुकदमा लड़े बिना मुआवजे की राशि की आवश्यकता होगी कि दुर्घटना मोटर वाहन के चालक की ओर से लापरवाही या मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न किसी अन्य दोष के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

66. हम ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 167 में प्रावधान है कि जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक चोट लगने पर अधिनियम और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे का दावा उत्पन्न होता है, वहाँ वह दोनों अधिनियमों के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकता। मोटर वाहन अधिनियम में विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं, उदाहरण के लिए, "अधिनियम के प्रावधान के तहत", "इस अधिनियम के प्रावधान", "इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत" या "किसी अन्य विधि के तहत" या अन्यथा"। धारा 163-क में, "इस अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त विधि में निहित किसी भी बात के

होते हुए भी" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जो यह दर्शाता है कि संसद का इरादा व्यापक प्रकृति के इसमें किसी भी बात के बावजूद खंड को सम्मिलित करने का था, जिसका अर्थ होगा कि धारा 163-क के प्रावधान उक्त अधिनियम या किसी अन्य समय प्रवृत्त विधि में मौजूद विपरीत प्रावधानों के बावजूद लागू होंगे। अधिनियम की धारा 163-क उन मामलों को शामिल करती है जहां पीड़ित की ओर से भी उपेक्षा होती है। यह धारा 166 के अपवाद के रूप में है और सामाजिक न्याय की अवधारणा का विधिवत ध्यान रखा गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपर्युक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 163-क उन मामलों को भी शामिल करती है जहाँ लापरवाही पीड़ित या दावेदार की ओर से भी हुई हो। यह अधिनियम की धारा 166 का अपवाद है और इसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा का समुचित ध्यान रखा गया है।

15. कर्नाटक उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सलमा व अन्य** 2008 के एसीजे 1197 में प्रकाशित, के

मामले में, उपर्युक्त उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह निर्णय दिया कि अधिनियम की धारा 163-क के तहत याचिका तब भी विचारणीय है, जब लापरवाही पीड़ित की ओर से हुई हो। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने **रामकन्याबाई व अन्य बनाम उनाव ट्रांसपोर्ट कंपनी (प्रा.) लिमिटेड व अन्य** 2007 के एसीजे 2003 में प्रकाशित, के मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया है।

16. अतः, उत्तरवादी क्रमांक 2 के विरुद्ध दावा याचिका निश्चित रूप से पोषणीय है क्योंकि जहाँ तक उत्तरवादी क्रमांक 2 का संबंध है, अपीलार्थी तृतीय पक्ष हैं और अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत उनकी दावा याचिका उस स्थिति में भी पोषणीय है जब लापरवाही अपीलार्थी क्रमांक 2 की ओर से हुई हो। विद्वान न्यायाधिकरण ने मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त को ध्यान मे रखते हुए, हमारा मत है कि इस मामले पर न्यायाधिकरण द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

18. अतः, हम इन अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं, दिनांक 13-1-2010 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को प्रतिप्रेषित करते हैं। दावा याचिकाओं को

उनके मूल क्रमांक पर बहाल किया जाएगा और उन पर ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में निर्णय लिया जाएगा। न्यायाधिकरण दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपने मामले पर तर्क करने का अवसर प्रदान करेगा।

19. न्यायाधिकरण इस मामले का शीघ्र निर्णय करेगा।

20. दावा न्यायाधिकरण के अभिलेख अविलंब प्रेषित किए जाएं।

सही/- **सही/-**

आई.एम.कुद्दुसी **एन.के.अग्रवाल**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore